

## झारखण्ड सरकार

पत्र संख्या— वनभूमि—103/2010—

व०प०, राँची, दिनांक—

## प्रेषक

जलज कुमार,  
उप परामर्शी ।

## सेवा में

प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह—कार्यकारी निदेशक,  
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

विषय :- NTPC Ltd. के नॉर्थ कर्णपुरा कोयला क्षेत्र अंतर्गत केरेडारी-A कोल ब्लॉक के माईनिंग परियोजना हेतु 243.32 हेक्टर वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र सं- F.No. 8-53/2011-FC दिनांक-28.08.2019

महाशय

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासांगिक पत्र द्वारा विषयक परियोजना को प्रदत्त स्टेज-II की स्वीकृति में लगाये गये शर्तों का प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-665 दिनांक-01.09.2020 एवं पत्रांक-291 दिनांक-05.02.2021 से प्राप्त अनुपालन प्रतिवेदन की सम्यक समीक्षोपरांत राज्य सरकार के निर्णयानुसार विषयक परियोजना में सन्निहित 181.93 हेंड अधिसूचित वनभूमि विमुक्त की जाती है।

प्रस्ताव में सन्निहित 61.39 हेठले जंगल-झाड़ी भूमि राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड के प्रशासनिक नियंत्रण में है। अतः उक्त जंगल-झाड़ी भूमि का हस्तांतरण राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के स्तर से अपेक्षित है। तदनुसार निज स्तर से प्रयोक्ता अभिकरण को उक्त आशय की सूचना देने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

۱۰ / -

(जलज कुमार)  
उप परामर्शी ।

ज्ञापांक-वनभमि-103 / 2010-

व०प०, राँची दिनांक—

प्रतिलिपि—सहायक वन महानिरीक्षक(एफ०सी०), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड, नई दिल्ली—110003 / वन उप महानिदेशक(केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, बंगला नं०-A-२, श्यामली कॉलोनी, राँची, झारखण्ड—८३४००२ को स्टेज-II के अनुपालन प्रतिवेदन (अनुलग्नक सहित) के साथ सचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अन०-यथोक्त ।

50 / -

उप परामर्शी ।

## କ୍ରୋପ୍‌ଯୁଗୋ

ज्ञापांक—वनभूमि—103/2010—

व0प0, राँची दिनांक—

प्रतिलिपि—अपर मुख्य सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को स्टेज-II की स्वीकृति संबंधी पत्र की छायाप्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि विषयक प्रस्ताव में सन्निहित 61.39 हेठो जंगल—झाड़ी भूमि के हस्तांतरण हेतु नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु०—यथोक्त।

ह0/-

उप परामर्शी।

ज्ञापांक—वनभूमि—103/2010—

व0प0, राँची दिनांक—

प्रतिलिपि—प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग/प्रादेशिक अंचल, चतरा/वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल/ चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल/अपर महाप्रबंधक (परियोजना), NTPC Ltd. केरेडारी कोयला खनन् परियोजना, हजारीबाग—825301 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

उप परामर्शी।

ज्ञापांक—वनभूमि—103/2010—

3524 व0प0, राँची दिनांक—12/12/2021

प्रतिलिपि—मुख्य वन संरक्षक, वनरोपण, शोध एवं मूल्यांकन अंचल, राँची को विभागीय Website "forest.jharkhand.gov.in" पर Upload करने हेतु प्रेषित।

उप परामर्शी।